

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 692 / 12
संस्थित दि.: 29 / 08 / 12

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

1. विरेन्द्र कुमार शुक्ला पिता गंगाप्रसाद, उम्र 33 साल, जाति ब्रम्हण,
निवासी ए.आई./ 35 टाउनशिप मलाजखण्ड थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. थामेश्वर बघेल पिता झिगूलाल पवार, उम्र 55 साल निवासी मण्डई
थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.) (पूर्वनिर्णीत) आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 15 / 10 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196, 50(1)(क) / 177 को आरोप है कि आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला ने दिनांक 25.05.2012 को समय 11:00 बजे बजारीटोला थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत लोकमार्ग पर मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50 / बी.ए.6252 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं अंकुर को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की तथा मोटरसायकिल को बिना बीमा के चलाते हुए पाये गये व मोटरसायकिल कय करने की सूचना रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी हो नहीं दी।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मलाजखण्ड एम.सी.पी. अस्पताल से आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड को तहरीर प्राप्त होने पर जांच में पाया गया कि दिनांक 25.05.2012 को मोटरसायकिल एम.पी.50 / बी.ए.6252 को आरोपी विरेन्द्र कुमार

शुक्ला ने उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न कारित किया। उक्त जांच के आधार पर आरोपी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक 67 / 12 अन्तर्गत धारा 279, 337 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50 / बी.ए.6252 जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196, 50(1)(क) / 177, 50(1)(ख) के तहत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196, 50(1)(क) / 177 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, वह निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 25.05.2012 को समय 11:00 बजे बंजारीटोला थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50 / बी.ए.6252 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50 / बी.ए. 6252 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर अंकुर को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

- (स) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50/बी.ए. 6252 को बिना बीमा के चलाते हुये पाया गया ?
- (द) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50/बी.ए. 6252 को थामेश्वर बघेल से क्य की और उसकी सूचना रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी को नहीं दी ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' :-

- (06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' का एक साथ विचार किया जा रहा है।
- (07) अभियोजन साक्षी मनोज कुमार गुप्ता (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी बंजारीटोला की है। वह उसकी बहन भूलता एवं भानजे अंकुर को मोटरसायकिल से लेकर पौनी जा रहा था। आरोपी की मोटरसायकिल उसकी मोटरसायकिल से आगे चल रही थी। आरोपी ने उसकी मोटरसायकिल अचानक मोड़ दी जिससे आरोपी की मोटरसायकिल उसकी मोटरसायकिल से टकरा गई और उसका भानजा अंकुर मोटरसायकिल से गिर गया गिरने से सिर में चोट आयी। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी।
- (08) अभियोजन साक्षी मनोज के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी भूलता (अ.सा.03) का भी कहना है कि घटना दिनांक को वह उसके भाई मनोज के साथ उसकी बड़ी बहन के लड़के अंकुर के साथ मलाजखण्ड से मोटरसायकिल में बैठकर पौनी जा रहे थी। सामने से अचानक बिना सिग्नल दिये आरोपी ने उसकी मोटरसायकिल को मोड़ दिया था जिससे उनकी मोटरसायकिल में आरोपी की मोटरसायकिल टकरा गई टकराने से अंकुर गिर गया था और सिर में चोट आयी

दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी।

(09) अभियोजन साक्षी मनोज एवं भूलता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी विनोद (अ.सा.01) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी बंजारीटोला की है। उसके पास फोन आया था कि उसके लड़के मनोज और लड़की भूलता तथा नाती अंकुर को आरोपी ने मोटरसायकिल को अचानक मोड़ दिया था और टक्कर मार दी जिससे अंकुर गिर गया जिससे उसे सिर में चोट आयी साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

(10) अभियोजन साक्षी ब्रम्हा श्रीवास (अ.सा.06) का कहना है कि घटना के संबंध में वह नहीं जानता। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। किन्तु घटनास्थल के मौके नक्शा पर उसके हस्ताक्षर घटना दिनांक को करना स्वीकार किया है।

(11) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी ज्ञानेश्वर (अ.सा.05) का भी कहना है कि दिनांक 25.05.2012 को एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखण्ड की तहरीर की जांच आधार पर आरोपी वीरेन्द्र शुक्ला के विरुद्ध अपराध क्रमांक 67/12 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था जो प्रदर्श पी-03 है। ब्रम्हा की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-04 बनाया था। घटनास्थल से हीरो होण्डा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50/बी.9965 एवं टीवी स्टार मोटरसायकिल एम.पी.50/डी.ए.6252 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 बनाया था। आरोपी वीरेन्द्र शुक्ला से टीवी स्टार मोटरसायकिल एम.पी.50/डी.ए.6252 की आर.सी. बुक एवं ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-05 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-06 बनाया था। हीरो होण्डा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50/बी.9965 का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-07 बनाया था। साक्षी मनोज, भूलता, ब्रम्हा, विनोद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये।

(12) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी डॉ.आर.के. बाला (अ.सा.04) का कहना है कि उसने दिनांक 25.05.2012 को आहत अंकुर के

मेडिकल परीक्षण में सिर के सामने वाले भाग पर कटा हुआ घाव होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी-02 है। आहत को आयी चोट गम्भीर प्रकृति की थी आहत को आगामी उपचार हेतु भिलाई अस्पताल में रिफर किया था।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है आरोपी के द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया। फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिए पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट की है, जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी ब्रम्हा ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(15) अभियोजन साक्षी मनोज कुमार गुप्ता (अ.सा.02) का स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी बंजारीटोला की है। वह उसकी बहन भूलता एवं भानजे अंकुर को लेकर पौनी जा रहा था। आरोपी की मोटरसायकिल उसकी मोटरसायकिल से आगे चल रही थी। आरोपी ने उसकी मोटरसायकिल अचानक मोड़ दी जिससे आरोपी की मोटरसायकिल उसकी मोटरसायकिल से टकरा गई और उसका भानजा अंकुर मोटरसायकिल से गिर गया गिरने से सिर में चोट आयी। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(16) साक्षी मनोज के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी भूलता (अ.सा.03) का भी कहना है कि घटना दिनांक को वह उसके भाई मनोज के साथ उसकी बड़ी बहन के लड़के अंकुर के साथ मलाजखण्ड से मोटरसायकिल में बैठकर पौनी जा रहे थी। सामने से अचानक बिना सिग्नल दिये आरोपी ने उसकी मोटरसायकिल को मोड़ दिया था जिससे उनकी मोटरसायकिल में टक्कर लगने से अंकुर गिर गया था और सिर में चोट आयी दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) साक्षी मनोज एवं भूलता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी विनोद (अ.सा.01) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी

बंजारीटोला की है। उसके पास फोन आया था कि उसके लड़के मनोज और लड़की भूलता तथा नाती अंकुर को आरोपी ने मोटरसायकिल को अचानक मोड़ दिया था और टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से अंकुर गिर गया था जिससे उसे सिर में चोट आयी थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया किन्तु जप्ती पत्रक पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

(18) अभियोजन साक्षी ब्राम्हा श्रीवास (अ.सा.06) का कहना है कि घटना के संबंध में वह नहीं जानता। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। किन्तु साक्षी ने घटना दिनांक को घटनास्थल पर मौका नक्शे पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है।

(19) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता ज्ञानेश्वर (अ.सा.05) का भी कहना है कि दिनांक 25.05.2012 को एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखण्ड की तहरीर की जांच आधार पर आरोपी वीरेन्द्र शुक्ला के विरुद्ध अपराध क्रमांक 67/12 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था जो प्रदर्श पी-03 है। ब्रम्हा की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-04 बनाया था। घटनास्थल से हीरो होण्डा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50/बी.9965 एवं टीवी स्टार मोटरसायकिल एम.पी. 50/डी.ए.6252 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 बनाया था। आरोपी वीरेन्द्र शुक्ला से टीवी स्टार मोटरसायकिल एम.पी.50/डी.ए.6252 की आर.सी.बुक एवं ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-05 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-06 बनाया था। हीरो होण्डा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी. 50/बी.9965 का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-07 बनाया था। साक्षी मनोज, भूलता, ब्रम्हा, विनोद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(20) अभियोजन साक्षी डॉ.आर.के.बाला (अ.सा.04) का कहना है कि उसने दिनांक 25.05.2012 को आहत अंकुर के मेडिकल परीक्षण में सिर के सामने वाले भाग पर कटा हुआ घाव होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श

पी-02 है। आहत को आयी चोट गम्भीर प्रकृति की थी आहत को आगामी उपचार हेतु भिलाई अस्पताल में रिफर किया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(21) अभियोजन साक्षी मनोज एवं भूलता तथा विवेचनाकर्ता ज्ञानेश्वर तथा मेडिकलकर्ता डॉ.आर.के.बाला के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन नहीं हुआ है तथा साक्षी विनोद ने जप्ती पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर होना एवं साक्षी ब्रम्हा ने घटनास्थल के मौका नक्शा पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। जिससे भी अभियोजन के प्रकरण की आंशिक पुष्टि होती है किन्तु आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला ने मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50/बी.ए.6252 को बिना बीमा के चलाते हुए पाये गये व मोटरसायकिल क्रय करने की सूचना रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी हो नहीं दी। ऐसा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से परिलक्षित नहीं होता।

(22) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी निर्दोष है आरोपी को फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर फंसाया गया है किन्तु इस संबंध में आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता की ओर से कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे परिलक्षित होता हो कि आरोपी को फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये झूठा फंसाया है।

(23) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी विरेन्द्र शुक्ला ने दिनांक 25.05.2012 को समय 11:00 बजे बंजारीटोला थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत लोकमार्ग पर मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50/बी.ए.6252 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं अंकुर को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की। किन्तु अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला ने मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50/बी.ए.6252 को बिना बीमा के चलाते हुए पाये गये व मोटरसायकिल क्रय करने की सूचना रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी हो नहीं दी।

(24) परिणाम स्वरूप आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तथा मोटरयान

अधिनियम की धारा 146 / 196, 50(1)(क) / 177 में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(25) प्रकरण में आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(26) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(26) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(27) आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला का यह प्रथम अपराध है। आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

(28) आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(29) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(30) आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में 1000 /—रुपये के अर्थदण्ड तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 के आरोप में 1000 /—रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित

किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला को एक-एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक् से भुगताई जावे।

(31) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टीवी. स्टान मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी. 50/बी.ए.6252 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

(32) निर्णय की एक प्रति आरोपी विरेन्द्र कुमार शुक्ला को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)